दिनांक 07.10.2018 को मुख्यालय पर जोन में कार्यरत डिप्टी कमिश्नर राज्य प्रतिनिधि/असिस्टेण्ट कमिश्नर राज्य प्रतिनिधि की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 07.10.2018 को कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न मा0 वाणिज्य कर अधिकरण में तैनात डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों एवं राज्य प्रतिनिधि मैनुअल के अनुसार किये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें एडिशनल कमिश्नर (विधि), तथा वाणिज्य कर, विधि अनुभाग मुख्यालय के अधिकारियों तथा विभिन्न जनपदों से आये डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि/असिस्टेण्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिनकी उपस्थिति का विवरण पत्रावली में रखा गया है। उपरोक्त समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है:-

1. समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि यह बताने में असमर्थ रहे कि उनके यहां द्वितीय अपील के कितने मामले वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित थे, कितने निस्तारित हुये, कितनों में विभाग के पक्ष में निवारण हुआ तथा अधिकारी, अपील अधिकरण के समक्ष स्टे के मामलों की संख्या एवं स्टे की धनराशि तथा 5 लाख से अधिक धनराशि वाले स्टे के मामलों की वस्तु स्थिति भी सही-सही नही बता पा रहे थे। अवगत कराया गया है कि अधिकांश अधिकारियों द्वारा माह-जुलाई में ही कार्यभार ग्रहण किया गया है यह स्थिति राज्य प्रतिनिधि के स्तर पर उचित नही पायी गयी। डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि के रुप में सर्वाधिक समय से कार्यरत सुश्री नीलम रानी डिप्टी कमि0 एवं राज्य प्रतिनिधि गाजियाबाद पीठ-प्रथम द्वारा स्टे के मामलों एवं धनराशि के सम्बन्ध में सही स्थिति स्पष्ट न किये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी वहीं सुश्री अरती कुमारी डिप्टी कमि0 एवं राज्य प्रतिनिधि इलाहाबाद पीठ द्वारा उनकी पीठ में लम्बित सर्वाधिक पुराने मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि समस्त अधिकारी इसी प्रकार समस्त तथ्यों की जानकारी रखें एवं बड़े स्टे के मामलों में सबल विभागीय पक्ष रख कर शीघ्र सुनवाई करवायें। विभागीय पक्ष, करनिर्धारण पत्रावली मंगाकर फैक्ट और लीगल बिन्दुओं के साथ नियत तिथि से पूर्व तैयारी कर रखा जाये। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) की अध्यक्षता में विधि समिति की बैठक में भी लीगल बिन्दु तैयार कर पूर्ण तैयारी के साथ पीठ के समक्ष विभागीय पक्ष रखते हुये विभागीय पैरवी की जाये तथा द्वितीय अपील भी सबल फैक्ट एवं विधिक बिन्दुओं के साथ दाखिल किया जाये तथा सुनवाई के समय प्रकरण में निहित फैक्टस एवं विधिक बिन्दुओं को प्रस्तुत किया जाये तथा प्रभावी पैरवी करवाई जाये। **(कार्यवाही सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) एवं डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि)**
2. सम्बंधित जोन से प्राप्त महत्वपूर्ण अपीलों की शीघ्र सुनवाई हेतु प्रयास एवं परिणाम के सम्बंध में दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 की अवधि हेतु विभिन्न जोनों से द्वितीय अपील से सम्बंधित मामलों की संख्या एवं धनराशि एवं **स्थगन** के सम्बंध में 10 महत्वपूर्ण मामलों का तथ्यात्मक विवरण प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थें। समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आगामी बैठक के समय स्थगन से सम्बंधित मामलों में पूर्ण विवरण देने एवं स्टे समाप्त करने हेतु किये गये प्रयासो का उल्लेख किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग करते हुये विभागीय पक्ष तैयार कराकर शीघ्र सुनवाई कराने के लिये राज्य प्रतिनिधि को पूर्ण सहयोग देंगे। **(कार्यवाही सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) एवं डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि)**
3. समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जोनों मुख्यतः लखनऊ, कानपुर, झॉसी एवं सहारनपुर में मा0 वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष लम्बित प्रकरणों की सुनवाई हेतु विभिन्न अधिकारियों का रोस्टर बनाते हुए राज्य प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया है। अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त रोस्टर प्रणाली के आधार पर राज्य प्रतिनिधि की तैनाती पर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि रोस्टर प्रणाली को तत्काल समाप्त करते हुए जोन के विधिक रूप से जानकार अधिकारियों को चिन्हित करते हुए राज्य प्रतिनिधि के रूप में तैनात/अधिकृत किया जाये। **(कार्यवाही समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर)**
4. समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये कि समस्त जोनों में सबसे अधिक पुराने लम्बित द्वितीय अपील, स्टे एवं पुनरीक्षण के मामलों की अद्यतन सूची एवं उसके निस्तारण सम्बंधी कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराया जाये। **(कार्यवाही सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर एवं डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि)**
5. समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये कि समस्त जोनों में सबसे अधिक (5 लाख से अधिक) धनराशि वाले बड़े एवं लम्बित द्वितीय अपील, स्टे एवं पुनरीक्षण के मामलों की समीक्षा करते हुए अद्यतन सूची तैयार किया जाये, जिसके सम्बंध में प्रतिमाह की गयी कार्यवाही का विवरण एवं प्रगति के सम्बंध में तथ्य अंकित किये जायें, जिससे कि जोन स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग किया जाना संभव हो सके। **(कार्यवाही सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर एवं डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि)**
6. समीक्षा बैठक के दौरान जोन स्तर पर "विधि समिति" के द्वारा नियमित रूप से ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का एजेण्डा डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि द्वारा बैठक के पूर्व तैयार करते हुए सदस्यों के मध्य प्रसारित किया जाये तथा बैठक के उपरांत कार्यवृत्त की प्रति एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर को प्रेषित करते हुए एक प्रति मुख्यालय को प्रेषित की जाये। एजेण्डा निर्धारित करते समय जोन स्तर पर बड़े एवं

महत्वपूर्ण मामलों के सम्बंध में की गयी विधिक बिन्दुओं पर समीक्षा का विवरण/तथ्य/बिन्दु का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।**(कार्यवाही सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर एवं डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि)**

7. जोन स्तर पर मा0 वाणिज्य कर अधिकरण पीठों के समक्ष लम्बित प्रकरणों के प्रभावी पैरवी हेतु विधिक जानकारी एवं मैनुअल में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए वादों से सम्बंधित लिखित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि मासिक रूप से विधिक निर्णयों से सम्बंधित जनरल्स एवं मैगजीन उपलब्ध कराने हेतु एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर आवश्यक व्यवस्था करेंगें।**(कार्यवाही समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर)**
8. समीक्षा के दौरान मा0 वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष दाखिल होने वाले द्वितीय अपील, पुनरीक्षण वादों एवं स्थगन प्रार्थना पत्रों इत्यादि के प्रभावी अनुशीलन हेतु विभागीय वेबसाइट पर राज्य प्रतिनिधि मैनुअल के अनुरूप मॉड्यूल विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत यह निर्देश दिये गये कि आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा मॉड्यूल विकसित किया जाये।**(कार्यवाही ज्वाइण्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय)**
9. समीक्षा बैठक के दौरान राज्य प्रतिनिधि के कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु तथा उनकी समीक्षा हेतु मापदण्ड निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। अतः मापदण्ड निर्धारित करने हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) द्वारा वाणिज्य कर मुख्यालय पर गठित उच्च अधिकारियों के समक्ष रखें। **(कार्यवाही विभागीय समिति वाणिज्य कर, मुख्यालय)**

समीक्षा बैठक के उपरांत अध्यक्षा महोदया द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से मा0 वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष वादों की प्रभावी पैरवी करने हेतु तथा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह कार्यवृत्त कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 महोदया के अनुमोदनोंपरांत जारी किया जा रहा है।

10/X/2018

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडिशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

329

पत्र सं0–विधि–4(2) डि0कमि0(एस0आर0) समीक्षा बैठक/2018–19/ 11/10/2018 **/वाणिज्य कर।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. समस्त एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन/ विधि/ जी0एस0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Rakesh 11/10/18

ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।